न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 144/2016/अपील/एलआरएक्ट/बांरा
तारीख दायराः 20.10.2016
अन्तर्गत धाराः 75 एल.आर.एक्ट

उनवान

श्रीमति मांगीबाई पत्नी स्व0 प्रभूलाल जाति गूर्जर निवासी–ग्राम हिंगोनिया तहसील मांगरोल जिला बांरा–राज0।

...अपीलांट

बनाम

1. हीरालाल आत्मज पन्नालाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम हिंगोनिया तहसील मांगरोल जिला बांरा–राज0
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल जिला–बांरा

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री चन्द्रशेखर कक्कड अभिभाषक अपीलांट
श्री चन्द्रमोहन शर्मा अभिभाषक रेस्पो0

:::निर्णय:::

दिनांक 24.9.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बांरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मिसल नम्बर 805/99 प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट बउनवान पन्नालाल, हीरालाल बनाम राजस्थान सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 25.8.1999 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 एलआरएक्ट मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि पन्नालाल आ0 किशना व हीरालाल आ0 पन्नालाल गूर्जर ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट का इस आशय का पेश किया कि पन्नालाल पुत्र किशना व श्री किशन पुत्र माधो के शामलाती खाते मे ख0 नं0 221 की 18 बीघा 2 बिस्वा भूमि थी उसमे से श्री किशन पुत्र माधो के हिस्से की जमीन को हीरा पुत्र पन्नालाल ने खरीद लिया। खाते मे सेटलमेंट ने इस जमीन को बडा कर 3.17 है0 कर दिया जबकि राजस्व रेकार्ड मे 18 बीघा 2 बिस्वा भूमि को काश्त करते आ रहे है अतः वर्तमान रकबा सही दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बांरा ने तहसीलदार मांगरोल से तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त कर खातेदारान पन्नालाल पुत्र किशना व हीरा पुत्र पन्ना के ख0 नं0 394 की 0.20 है0 व ख0 नं0 395 की 0.26 है0 भूमि खाते मे कम की जाकर मदनलाल कुम्हार के खाते दर्ज करने तथा ख0 नं0 401 की 0.54 है0 भूमि मे से 0.46 है0 भूमि प्रार्थी धन्ना पुत्र किशना 1/2 व हीरा पुत्र पन्ना हि0 1/2 से दर्ज कर इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल किये जाने का दिनांक 25.8.99 को आदेश पारित किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी मांगीबाई ने अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया कि धारा 136 एलआरएक्ट के अन्तर्गत लेण्ड रिकार्ड आफीसर नही होने के कारण जिला कलक्टर को आदेश पारित करने का अधिकार नही था अतः पारित जेरअपील आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर होने से काबिल निरस्तनीय है। लेण्ड रिकार्ड आफीसर केवल उन्ही प्रकरणो मे सुनवायी कर सकते है

जो बंदोबस्ती कार्य के बंद होने के समय पेडिंग थे नया प्रार्थना पत्र लेकर धारा 136 एलआरएक्ट के अन्तर्गत इन्द्राज दुरूस्ती की कार्यवाही नही की जा सकती। जेरअपील आदेश बंदोबस्त कार्य बंद होने की घोषणा के बाद किया गया जो प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आदेश अपीलांट को सुनवायी का अवसर दिये बिना अपीलांट के खाते मे से 0.46 है0 भूमि कम करने का जेरअपील आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत व कानून के विपरीत होने के कारण प्रारम्भिक रूप से शून्य व निष्प्रभावी है। अपीलांट रिकार्डेड खातेदार होने के कारण राज0 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत ही नियमित वाद लाकर ही परिवर्तित किया जा सकता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आर्बीट्रेरी रूप से आदेश जेरअपील पारित करने मे कानूनी भूल की है। बंदोबस्त से पूर्व पन्नालाल व हीरालाल के खाते मे 18 बीघा 2 बिस्वा भूमि दर्ज थी जिसके 2.89 है0 बनते है जबकि बंदोबस्त ने खाते मे 3.17 है0 भूमि दर्ज की है जबकि अधीनस्थ न्यायालय मे अनुतोष भी 2.89 है0 भूमि का ही चाहा गया था। अतः जेरअपील आदेश मनमाने ढंग से पारित किया है जो विधि विरूद्ध है। जेरअपील आदेश की जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 1.6.2012 को भूमि की पैमाईश करने पर हुई जिसकी नकल प्राप्त कर अपील प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत पेश कर जेरओल आदेश 25.8.99 अपास्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड की पूर्व की स्थिति बहाल रखी जाने बावत रेस्पो0 कम–2 को निर्देशित किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट का श्रृवणाधिकार प्राप्त नही था क्योंकि जिला कलक्टर लेण्ड आफीसर नही है। जिला कलक्टर बांरा ने अपीलांट को बिना सुने ही उसके खाते दर्ज ख0 नं0 401 रकबा 0.54 है0 मे 0.46 है0 रकबा कम कर पन्नालाल के खाते मे दर्ज करने मे त्रुटि की है क्योंकि लेण्ड रिकार्ड आफीसर केवल उन्ही प्रकरणो मे सुनवायी कर सकते है जो बंदोबस्ती कार्य के बंद होने के समय पेडिंग थे नया प्रार्थना पत्र लेकर धारा 136 एलआरएक्ट के अन्तर्गत इन्द्राज दुरूस्ती की कार्यवाही नही की जा सकती। जेरअपील आदेश बंदोबस्त कार्य बंद होने की घोषणा के बाद किया गया जो प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। बहस मे आगे यह भी प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध मौका रिपोर्ट अपीलांट के सामने तैयार नही कर मनमर्जी से तैयार की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट मे अनुतोष 2.89 है0 भूमि का ही चाहा गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने जो अनुतोष जेरअपील आदेश से पारित किया है वह चाहा ही नही गया था ऐसी स्थिति मे अपीलांट के खातेदारी की भूमि मे से रकबा कम करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नही था। अपने कथन के समर्थन मे आरआरडी 1981 पेज 280, आरआरडी 1989 पेज 59, आरआरडी 1989 पेज 147 आरआरडी 1962 पेज 192 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील अपीलांट स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 कम–1 ने बहस मे बताया कि अपीलांट का रकबा कम नही हुआ है पहले 8 बीघा था अब 11 बीघा है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार मांगरोल से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर जेरअपील निर्णय पारित किया है जो सही है। अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख तथा प्रकरण मे प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आरआरडी 1981 पेज 280, आरआरडी 1989 पेज 59, आरआरडी 1989 पेज 147 आरआरडी 1962 पेज 192 का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की है डिले कन्डोन हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का पेश कर प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के समर्थन मे स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना

पत्र व शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों के खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर पेश नही किया गया है। ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्सनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है अतः समुचित आधार अभिलेख के अभाव मे प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम न्यायहित मे स्वीकार किया जाकर विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 अपील का गुणावगुण पर अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बांरा ने प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट मे तहसीलदार मांगरोल से तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त कर खातेदारान पन्नालाल पुत्र किशना व हीरा पुत्र पन्ना के ख0 नं0 394 की 0.20 है0 व ख0 नं0 395 की 0.26 है0 भूमि खाते मे कम की जाकर मदनलाल कुम्हार के खाते दर्ज करने तथा ख0 नं0 401 की 0.54 है0 भूमि मे से 0.46 है0 भूमि प्रार्थी पन्ना पुत्र किशना 1/2 व हीरा पुत्र पन्ना हि0 1/2 से दर्ज कर इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल किये जाने का दिनांक 25.8.99 को आदेश पारित किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि ''जेरअपील आदेश बंदोबस्त कार्य बंद होने की घोषणा के बाद जिला कलक्टर बांरा द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया है जो प्रावधानों के विपरीत है तथा अपीलांट की अनुपस्थिति मे पारित किये जाने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है''। अपीलांट के तर्क के संबध मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट के संबध मे कार्यवाही से संबधित कोई फर्दअहकाम नही है इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे प्रक्रियात्मक विधिक कार्यवाही अमल मे लाये बिना तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही तहसीलदार मांगरोल से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर जेरअपील आदेश दिनांक 25.8.99 से ख0 नं0 401 की 0.54 है0 भूमि से 0.46 है0 रकबा कम कर पन्नालाल के खाते मे दर्ज करने मे त्रुटि की जाना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त जेरअपील आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांन्त के विपरीत होने से विधिसम्मत नही ठहराया जा सकता। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जेरअपील आदेश दिनांक 25.8.99 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किये जाने योग्य है।

7 परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बांरा द्वारा पारित जेरअपील आदेश दिनांक 25.8.99 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट एवं रेस्पो0 को सुनवाई का विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान कर राजस्व रिकार्ड, जमाबंदी, मिलानक्षेत्रफल, सेटलमेंट से पूर्व एंव बाद के नक्शें का समुचित परीक्षण कर रकबा बरारी करते हुये पुनः विधिसम्मत, तथ्यात्मक निर्णय पारित करे।

8 निर्णय आज दिनांक 24.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा